58

दृष्टिगत नकल आदेश दि – 26-10-12

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर।

वाद संख्या– 51/2012

धारा– 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट
मौजा– नारामऊ कछार
परगना व तहसील जिला कानपुर नगर।

प0एच0एस0 भार्गव चेरिटेबुल सो0 बनाम उ0प्र0 सरकार

निर्णय

प्रार्थी प0 एच0एस0 भार्गव चैरिटेबुल सोसायटी रजि0 कार्यालय 7/141 ए स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा सचिव चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 हरदेव सहाय भार्गव नि0 7/141 ए स्वरूप नगर कानपुर नगर ने उ0प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुए ग्राम नारामऊ कछार की खाता सं0 84 की आ0सं0 354/0.2360 हे0 मा0गु0 60ख को अकृषिक/आवासीय भूमि घोषित करने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट प्रस्तुत किया। आदेश पारित करके तहसीलदार से निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आख्या दिनॉक 08–10–2012 प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया ग्राम नारामऊ कछार की खाता सं0 84 की आ0सं0 354/0.2360 हे0 मा0गु0 60ख पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोजन में आ रही है। मौके पर बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। नकल खतौनी मे भूमि प्रार्थी के नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। आख्या में उक्त भूमि को यू0पी0जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा– 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है।

मैने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया। प्रस्तुत तहसीलदार आख्या एवं वादी के प्रार्थनापत्र तथा अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम नारामऊ कछार की खाता सं0 84 की आ0सं0 354/0.2360 हे0 मा0गु0 60ख पर कृषि कार्य नहीं हो रहा तथा उसका अकृषिक/आवासीय प्रयोग किया जा रहा है और न ही बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोग में आ रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू0पी0जेड0ए0एल0आर0एक्ट की धारा– 143 के अतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है।

आदेश

ग्राम नारामऊ कछार की खतौनी वर्ष 1419–1424 फ0 की खाता सं0 84 की आ0सं0 354/0.2360 हे0 मा0गु0 60ख भूमि को उ0प्र0 जेड0 ए0 एल0 आर0 एक्ट की धारा– 143 के अंतर्गत अकृषिक/आवासीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार की आंख्या दिनॉक 08–10–2012 आदेश का अभिन्न अंग होगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार एवं सम्बंधित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिरक्षित हो।

दिनॉक

(इन्द्रपाल उत्तम)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप–जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

उक्त आदेश सतिथि हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(इन्द्रपाल उत्तम)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप–जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

NOTARIAL

086
05.11.12
चन्द्रशेखर
05.11.12
05.11.12
13.00

For Pt. Hardeo Sahai Bhargava Charitable Society
Secretary

For Pt. Hardeo Sahai Bhargava